दैनिक भास्कर
बिलासपुर 22-11-2025

हेट स्पीच केस पर हाई कोर्ट बोला- गिरफ्तारी के निर्देश नहीं दे सकते

अमित बघेल की गिरफ्तारी समेत अन्य मांगों को लेकर दायर की गई याचिका खारिज

बिलासपुर | अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी, पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस माइक्रो मैनेजमेंट गुरु की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। रायपुर के अवंती विहार निवासी अमित अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। अपने मामले की खुद पैरवी करते हुए आरोप लगाया कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल लगातार भड़काऊ हेट स्पीच दे रहे हैं और सिंधी, जैन व अग्रवाल समुदायों के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं। उनके खिलाफ रायपुर और जगदलपुर में कई एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन राज्य सरकार कार्रवाई में जानबूझकर देरी कर रही है। याचिका में बघेल की तत्काल गिरफ्तारी, जांच की निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। वहीं, राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जांच चल रही है। निष्क्रिय होने का आरोप गलत है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब कई एफआईआर दर्ज हैं और जांच जारी है, ऐसे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसके अलावा गिरफ्तारी, जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।